न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2025/158

1. विजेन्द्र पुत्र किशोर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. उप तहसीलदार भनोखर उप तहसील भनोखर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर अपील संख्या 12/33/2024 दिनांक 14.11.2024 उनवानी विजेन्द्र बनाम उपतहसीलदार।

उपस्थित—

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—18.06.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के आदेश दिनांक 14.11.2024 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट विजेन्द्र पुत्र किशोर सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष वाके ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नं. 193 रकबा 0.75 है0 में से 0.08 पर अवैध कब्जा करने पर बेदखली से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी व रिकार्ड के अनुसार अपीलांट को चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये अपील खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 14.11.2024 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 14.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट विजेन्द्र पुत्र किशोर सिंह जाति जाट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 14.11.2024 व उप तहसीलदार भनोखर का निर्णय दिनांक 19.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप तहसीलदार भनोखर द्वारा ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 193 रकबा 0.75 है0 में से 0.08 पर अवैध कब्जा मानते हुये अतिक्रमी मानकर अपीलांट को बेदखली व पैनल्टी वसूली के आदेश दिये गये। जबकि उक्त भूमि के साबिक खसरा नं. 179 रकबा 2 बीघा 19 बीस्वा थे एवं किस्म चाही थी। उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता व ताउ राम सिंह, किशोर पुत्रान कन्हैया जाट के ना खातेदारी में दर्ज थी लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा चारागाह दर्ज कर दिया है। जिसको दुरूस्त करवाने बाबत् अपीलांट व अन्य द्वारा वाद हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती उनवानी धर्मसिंह बनाम सरकार मु0 न0 1/165/2015 उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष विचाराधीन है। जिसको दरकिनार कर उप तहसीलदार भनोखर द्वारा भूमि आराजी खसरा नं. 193 रकबा 0.75 है0 में से 0.08 पर अपीलार्थी को बेदखली किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरूद्ध अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा साबिका राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही प्राथमिकता देते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2024 से अपील खारिज करने के आदेश दिये गये। प्रार्थी द्वारा अभी किसी प्रकार का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। परन्तु पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का सरकारी भूमि पर कब्जा बताते हुये गलत रिपोर्ट पेश की है। वादग्रस्त आराजी चारागाह व तलाई के रूप में कभी काम नहीं आई। अपितु अपीलार्थी के पिता व ताउ राम सिंह किशोर पुत्रान कन्हैया जाट के नाम खातेदारी कब्जे में दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड व तथ्यों का अवलोकन किये अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर निर्णय दिनांक 14.11.2024 व उप तहसीलदार भनोखर का निर्णय दिनांक 19.07.2024 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप तहसीलदार भनोखर द्वारा अपीलांट द्वारा सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नं. 193 रकबा 0.75 है0 में से 0.08 पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है तथा अपीलांट को बेदखली व पैनल्टी वसूली किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पटवारी हल्का रोनीजाथान की रिपोर्ट के आधार पर सभी तथ्यों व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 24.01.2025 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 193 रकबा 0.75 है0 में से 0.08 भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने सरकारी चारागाह भूमि पर अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। उप तहसीलदार कठूमर जिला अलवर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है तथा अपीलांट को बेदखली, पैनल्टी वसूली किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष प्रार्थी के निवेदन पर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 193 रकबा 0.75 है0 में से 0.08 भूमि की किस्म चारागाह दर्ज है एवं उक्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा जोत लगाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही अपीलार्थी द्वारा सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपील खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2024 पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत् हैं। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2024 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 14.11.2024 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर